रजिस्ट्री सं० डी० एल०-221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 247] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 1973/आश्विन 9, 1895
No. 247] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 1973/ASVINA 9, 1895

Central Secretariat Library 17 Govt of India

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDERS

New Delhi, the 1st October 1973

G.S.R. 463(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Order, 1973, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Third Amendment Order, 1973.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Order, 1973 in sub-clause (1) of clause 6A, the words "or truthfully labelled" shall be omitted.

[No. 3(Genl.)(5)/106/73-PY.II(II).]

ISHWAR CHANDRA, Jt. Secy

कृषि मंत्रालय

खाद्य विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1973

सा० का० नि० 463 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अन्तःक्षेत्रीय गेहूं और गेहूं-उत्पाद (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अन्तःक्षेत्रीय गेहूं और गेहूं-उत्पाद (संचलन नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश, 1973 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. अन्तःक्षेत्रीय गेहूं और गेहूं-उत्पाद (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 में, खण्ड 6 क के उपखंड (1) में, "या ठीक ठीक लेबल लगे" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[सं० 3 (सा०) (5)/106/73-पी० बाई०II (II)]

ईश्वर चन्द्र, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973